किसी ने मुझसे नहीं कहा कि टीम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सच्चाई ये है कि संन्यास का फैसला करने से पहले दो-तीन लोगों ने मुझे ऐसा करने से इनकार कर दिया था लेकिन मैंने अपना फैसला लिया। असल में वे चाहते थे कि मैं और खेलूं। - आर. अश्विन

पूर्व भारतीय गेंदबाज, अपने संन्यास को लेकर बोलते हुए।

आज का खिलाड़ी

क्रिस्टियानो रोनाल्डो

दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है। वह दुनिया के ऐसे पहले फुटबॉलर बन गए हैं। जिन्होंने अरबपतियों की लिस्ट में जगह बनाई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौजूदा संपत्ति 1.4 अरब डॉलर है। भारतीय रुपये में देखें तो ये धनराशि करीब 12,352 करोड़ रुपये के आस पास आती है। 40 वर्षीय रोनाल्डो ने 2002 से 2023 के बीच 550 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमाई की थी। ये धनराशि उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस जैसे बड़े यूरोपीय क्लबों के साथ खेलने और निवेश एंड एंडोर्समेंट से हासिल हुई थी।

क्या आप जानते हैं ?... वेस्टइंडीज़ दो बार लगातार (1975 और 1979) विश्व कप जीतने वाली पहली टीम थीं और वह लगातार तीन विश्व कप फाइनल (1975, 1979 और 1983) में खेली।

मैं भारत के लिए तीनों प्रारूपों में आईसीसी ट्रॉफियां जीतना चाहता हूं : शुभमन गिल

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। भारतीय टेस्ट और एकदिवसीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि वह भारत के लिए तीनों प्रारूपों में आईसीसी ट्रॉफियां जीतना चाहते हैं। गिल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पूर्वसंध्या पर गुरूवार को आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ''लगातार तीनों प्रारुपों में खेलने से तो शारीरिक थकान तो एक बात है, लेकिन कई बार जब आप लगातार खेलते हो तो मानसिक थकान हो जाती है। मैं जब खेलता हूं तो स्वयं से मेरी कुछ अपेक्षाएं होती हैं और मेरा कुछ लक्ष्य होता है।

यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि मुझे पूरा करना होता है। मैं भारत के लिए तीनों प्रारूपों में खेलना चाहता हूं और सफल होना चाहता हूं। मैं आईसीसी ट्रॉफीज जीतना चाहता हूं। और अगर मुझे ऐसा करना है तो यह एक चुनौती है, जिसे मुझे पूरा करना है।'' टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में इंग्लैंड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल ने अब अंतरराष्ट्रीय टी-20 में ना सिर्फ वापसी की, बल्कि उन्हें उपकप्तानी भी मिली। इसके बाद वह घरेलू जमीन पर अपनी कप्तानी में पहला टेस्ट मैच जीत रहे थे तभी उन्हें एकदिवसीय टीम का भी कप्तान बना दिया गया। भारतीय टीम प्रबंधन अब भविष्य की ओर देख रहा है अब रोहित शर्मा टीम में बस एक खिलाड़ी के रूप में रह जाएंगे।

अगले साल भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप के अलावा, वर्तमान में चल रहा 2027 का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र और 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाला एकदिवसीय विश्व कप शामिल है। उन्होंने कहा, ''बेशक यह घोषणा अहमदाबाद टेस्ट के दौरान (के बाद) हुई, लेकिन मुझे एकदिवसीय कप्तानी मिलने के बारे में टेस्ट मैच से थोड़ा पहले ही पता चल गया था। यह एक बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान है। मैं वनडे में भी अपने देश का कप्तानी करने के लिए उत्साहित हूं। पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत बेहतरीन रहे हैं और मैं आगे की ओर देख रहा हूं। मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं और ज्यादा पीछे नहीं देखना चाहता। मैं बस भविष्य की ओर देख रहा हूं और आने वाले महीनों में जो भी मैच आए, उन्हें जीतना चाहता हूं।'' गिल ने इस बात से इनकार कर दिया कि रोहित और विराट उनके 2027 की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन एकदिवसीय क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं। गिल ने तो यह भी कहा कि वह रोहित की कप्तानी से बहुत कुछ अपनी कप्तानी में उतार भी रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''रोहित और कोहली के पास जिस तरह का अनुभव है, जिस तरह से उन्होंने भारत को मैच जिताए हैं, ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी होंगे। उनकी क्षमता, कौशल और अनुभव के खिलाड़ी दुनिया में भी बहुत कम है। ये सब देखते हुए हम निश्चित रूप से उनकी ओर देख रहे हैं। इसके अलावा रोहित (शर्मा) भाई जिस तरह से शांत रहते हैं और जिस तरह से वह खिलाड़ियों के साथ संबंध बनाते हैं, वह सब उनसे सीखने लायक है।''

भारतीय टीम का कैलेंडर आने वाले समय में बहुत व्यस्त है। टेस्ट सीरीज समाप्त होने के तुरंत बाद भारतीय टीम दिल्ली से ही पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) के लिए रवाना हो जाएगी, जहां उन्हें तीन एकदिवसीय और पांच अंतरराष्ट्रीय टी20 खेलने है। इसके बाद भारतीय टीम को तुरंत ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है। गिल की तीनों प्रारूपों में भूमिका का मतलब है कि उन्हें अब लगातार क्रिकेट खेलना है।

भारत की संभावित एकादश:- शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और मो. सिराज।

वेस्टइंडीज की संभावित एकादश:- रोस्टन चेज (कप्तान), तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खारी पियरे, जोहान लेने और जेडेन सील्स।

38 वर्षों से दिल्ली में अपराजित है भारत

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। भारतीय टीम पिछले 38 वर्षों से दिल्ली में अपराजित है जहां उसका वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार से शुरू होगा। भारत ने दिल्ली में आखिरी बार 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ (5 विकेट से) टेस्ट गंवाया था। तब से, उन्होंने इस मैदान पर 11 टेस्ट जीते हैं और दो ड्रॉ रहे हैं।

विमेंस वर्ल्डकप : दक्षिण अफ्रीका की भारत पर लगातार तीसरी जीत

काम न आई ऋचा घोष की पारी

विशाखापटट्नम, 9 अक्टूबर। भारतीय टीम को विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पहली हार झेलनी पड़ी है। उसे साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से हराया। गुरुवार को विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका ने 252 रन का टारगेट 48.5 ओवर में 7 विकेट खोकर चेज कर लिया। नदिन डी क्लर्क 84 रन बनाकर नाबाद लौटीं। उन्होंने क्लो ट्रायोन के साथ 60 बॉल पर 69 रन की साझेदारी की।

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम 49.5 ओवर में 251 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। एक समय भारत के 6 विकेट 102 रन पर गिर गए थे। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 77 गेंदों पर 94 रन की पारी खेलकर टीम को संभाला। ऋचा जब बल्लेबाजी करने उतरीं तब भारत अपने छह विकेट 102 रन पर गंवाकर संघर्ष कर रहा था। लेकिन ऋचा ने 77 गेंदों की अपनी पारी में 11 चौके और चार छक्के लगाकर भारत को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। ऋचा ने अमनजोत कौर के साथ सातवें विकेट के लिए 51 रन और स्नेह राणा के साथ आठवें विकेट के लिए 88 रन जोड़े।

अमनजोत ने 13 और स्नेह राणा ने 24 गेंदों में छह चौकों की मदद से 33 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के स्कोर में 24 वाइड सहित 25 अतिरिक्त रनों का भी अहम योगदान रहा। एक समय लग रहा था कि भारत 200 के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ट्राइऑन और म्लाबा के दोहरे झटकों की बदौलत भारत 102 के स्कोर पर अपने छह विकेट गंवा चुका था। लेकिन यहां से ऋचा घोष और अमनजोत ने भारत की पारी को संभाला और फिर स्नेह राणा और घोष के बीच 88 रनों की साझेदारी हुई। घोष ने 94 रनों की यादगार पारी खेली जो आने वाले लंबे समय तक याद रखी जाएगी।

अंडर-16 ट्रॉफी : जयपुर 8 विकेट से जीती

जयपुर, 9 अक्टूबर। आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमावत के अनुसार बीसीसीआईकी आगामी राष्ट्रिय अंदर 16 ट्रॉफी के संभावितों के चयन हेतु आरसीए द्वारा आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय अंडर 16 ट्रॉफी के आज जयपुर में खेले गए मैचों का परिणाम :- सवाई माधोपुर - श्रीगंगानगर मैच श्रीगंगानगर 7 विकेट से जीती, झुंझनू - हनुमागढ़ मैच - मैदान गीला होने कारण स्थगित, भरतपुर - झालावाड़- भरतपुर 153 रन से जीती, बांसवाड़ा - बाड़मेर- बाड़मेर 7 विकेट से जीती, सीकर - प्रतापगढ़ -सीकर 349 रन से जीती, करौली - जयपुर जयपुर 8 विकेट से जीती, जैसलमेर - दौसा जैसलमेर 153 रन से जीती, पाली - नागौर- पाली 13 रन से जीती, डूंगरपुर - बारां- डूंगरपुर 114 रन से जीती, उदयपुर - अलवर - उदयपुर 40 रन से जीती, बीकानेर - चित्तोड़ - बीकानेर 152 रन से जीती, अजमेर - जोधपुर - अजमेर 81 रन से जीती, भीलवाड़ा - धौलपुर - भीलवाड़ा 41 रन से जीती, सिरोही - बूंदी - सिरोही 88 रन से जीती, चूरू - कोटा - चूरू 60 रन से जीती, जालोर - राजसमंद - राजसमंद 6 विकेट से जीती।

ब्लैक डायमंड व गुलमोहर क्लब जीती

जयपुर, 9 अक्टूबर। नरेन्दर मेमोरियल फाउन्डेशन के तत्वावधान में एस.एम.एस. स्टेडियम के एस्ट्रोटर्क पर खेली जा रहीं गुर इकबाल सिंह, भुल्लर स्मृति सिक्स-- ए- साइड पुरुष हाकी प्रतियोगिता'' एवं '' नरेन्दर कौर भुल्लर स्मृति

सिक्स-ए-साइड महिला हॉकी प्रतियोगिता में आज तीन मैच खेले गये। पुरुष वर्ग में आज का पहला चुकाबला भगतसिंह क्लब एवं राजपुताना क्लन के मध्य खेला गया, जो बेहद रोचक रहा तथा 3-3 गोल से बराबरी पर छुटा। मध्यांतर तक भगतसिंह क्लब 2-0 से आगे थी तथा उत्तरार्द्ध में भी तीसरा गोल भगतसिंह क्लब ने कर 3-0 स्कोर कर दिया। किन्तु रजपुताना क्लब ने पलटवार करते हुये तीन गोल कर स्कोर कर 3-3 से बराबर कर लिया। भगतसिंह क्लब के लिये लकी, देवासुरावत एवं रुद्रप्रताप ने गोल किये, जबकि राजपुताना के लिये रजत और बबलू ने एक गोल किया। पुरुष वर्ग का आज का दूसरा मुकाबला ''ब्लैक डायमंड व वारियर्स क्लन'' के मध्य खेला गया। जिसमें ''ब्लैक डायमंड 4-0 से विजेता रही। विजेता टीम ब्लैक डायमंड के लिये रविन्द्र ने 2 गोल जबकि प्रक्षण और सनप्रीत ने एक-एक गोल किये। महिला वर्ग की प्रतियोगिता में ''गुलमोहर क्लब'' ने ''सनसिटी क्लन'' को 2-1 से पराजित किया। गुलमोहर के लिये दोनों गोल रिया ने किये जबकि पराजित टीम के लिये एकमात्र गोल पूनम कंवर ने किया। आज की विशिष्ट अतिथि पूर्व राष्ट्रीय हॉकी महिला खिलाड़ियों यथा प्रीति सप्रे, मोना कालिया और भारती चौहान थी, जिन्होंने उपरोक्त मुकाबलों में क्रमशः खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें प्रोत्साहित किया।

एमसीए चुनाव 12 नवंबर को

मुंबई, 9 अक्टूबर। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने घोषणा की है कि पदाधिकारियों, शीर्ष परिषद के सदस्यों और टी20 मुंबई लीग गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के चुनाव 12 नवंबर को होंगे। शीर्ष परिषद ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त जेएस सहारिया को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है।

खेलो क्रिएटर्स लीग की धमाकेदार शुरुआत : सितारों, संगीत और खेल के रंग में रंगा जयपुर

जयपुर, 9 अक्टूबर। जयपुर में खेलो क्रिएटर्स लीग (केसीएल) एक ऐसी लीग का आज आगाज़ हुआ जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, बल्कि मैदान में अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे है। डिजिटल दुनिया के स्टार क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स मैदान पर नज़र आये, तो माहौल तालियों और जोश से गूंज उठा। यह लीग 9 से 11 अक्टूबर तक जयपुर के सीतापुरा स्थित ज़ी स्टूडियोज़ में खेली जा रही है। इस अनोखी पहल का मकसद है - डिजिटल दुनिया की रचनात्मकता को खेल की ऊर्जा से जोड़ना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, नीरज के. पवन ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने कहा, यह शानदार पहल है, जो दिखाती है कि आज के डिजिटल क्रिएटर्स कितने ऊर्जावान और बहुमुखी हैं। यह सिर्फ खेल नहीं, एक नई सोच है। उद्घाटन समारोह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। लाल परी फेम सिंगर सिमर कौर ने जब मंच संभाला, तो हर कोई झूम उठा। उनका लाइव कॉन्सर्ट पूरे माहौल में जोश और मस्ती भर गया, जिसने लीग की शुरुआत को और भी धमाकेदार बना दिया।

स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह पर अंडरवर्ल्ड की बुरी नजर

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। मध्यक्रम के बल्लेबाज और एक बेहतरीन आउटफील्डर, रिंकू सिंह ने उस समय सभी को चौंका दिया जब उन्होंने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स को पांच गेंदों में 28 रनों की जरूरत के समय यश दयाल की गेंद पर लगातार पांच छक्के लगाए। तब से वह काफी ज्यादा मशहूर हो गये। इस बार मामला रिंकू सिंह की बल्लेबाजी का नहीं बल्कि कुछ और है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड गैंग डी-कंपनी से 5 करोड़ की फिरौती की धमकी मिली है। यह चिंताजनक घटना भारत में हाई-प्रोफाइल सार्वजनिक हस्तियों के सामने बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है।

रिंकू सिंह को कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली

मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, जांच में पता चला कि कुख्यात दाऊद इब्राहिम गिरोह, जिसे डी-कंपनी के नाम से जाना जाता है, ने फरवरी और अप्रैल 2025 के बीच रिंकू सिंह की प्रचार टीम को तीन फिरौती की मांगें भेजीं, जिसमें 5 करोड़ की मांग की गई। पुलिस ने मामले से जुड़े दो संदिग्धों मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद को गिरफ्तार किया है, जिन्हें वेस्ट इंडीज में पकड़ा गया था और 1 अगस्त को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया था।

स्मृति मंधाना एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी

विशाखापटट्नम, 9 अक्टूबर। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। दरअसल, मंधाना एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की पूर्व क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क का 28 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गुरुवार को अफ्रीका के खिलाफ मंधाना का बल्ला नहीं चला। वह 32 गेंद में 23 रन ही बना पाई। स्मृति मंधाना अफ्रीका के खिलाफ अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदल नहीं सकी। उन्होंने 32 गेंद में एक चौके और इतने ही छक्के की मदद से 23 रन बनाए।

पद्मनाभ सिंह और लियोरेंट चमके

जयपुर, 9 अक्टूबर। रामबाग पोलो ग्राउंड पर जयपुर पोलो ओर ट्रोजंस पोलो टीम के बीच मैच खेला गया जिसमें जयपुर पोलो टीम ने ट्रोजंस पोलो टीम को 4 के मुकाबले 10 गोलों से हराया। ट्रोजंस पोलो टीम की ओर से हुर्र अली ने 2 गोल ओर कुलदीप सिंह ने 2 गोल किये। जयपुर पोलो टीम की ओर सेवंदित गोलछा ने 3, लांस वाटसन ने 2 गोल, महाराज पद्मनाभ सिंहने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 5 गोल कर अपनी टीम को जीत दिलाई। रामबाग पोलो ग्राउंड पर दूसरा मैच डायनामिक्स अचीवर्सओर सुहाना ऑल स्टार पोलो टीम के बीच खेला गया जिसमें ऑल स्टार पोलो टीम ने डायनामिक अचीवर्स को 6 के मुकाबले 8 गोल से हराया। सुहाना ऑल स्टार पोलो टीम की ओर से ध्रुवपाल गोदारा ने 3 गोल ओरलियोरेंट ने अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 गोल किये। डायनामिक अचीवर्स की ओर से डेनियल ओटमेडी ने 3 गोल किए जबकि शमशीर अली ने अपनी टीम के लिए 3 गोल किए।

नये एचटी-उद्योग छूट और वृद्धीशील उपभोग छूट

नये उद्योग छूट	मौजूदा (रु./यूनिट)	प्रस्तावित (रु./यूनिट)
एमआईपी एचटी	0.55 (रू./यूनिट)	0.20 (रू./यूनिट)
वृहद	0.85 (रू./यूनिट)	0.30 (रू./यूनिट)

वृद्धीशील उपभोग छूट	मौजूदा (रु./यूनिट)	प्रस्तावित (रु./यूनिट)
एमआईपी एचटी	0.55 (रू./यूनिट)	0.20 (रू./यूनिट)
वृहद	0.85 (रू./यूनिट)	0.30 (रू./यूनिट)

एचटी सीपीपी (Co-Located) उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले पीओसी शुल्क निम्नानुसार हैं:-

सीपीपी प्रकार	पीओसी शुल्क (रू./केवीए/माह)
परम्परागत सीपीपी	रु. 27.237/केवीए/माह सीपीपी की स्थापित क्षमता का
अक्षय ऊर्जा सीपीपी	रु. 11.90/केवीए/माह सीपीपी की स्थापित क्षमता का
हाइब्रिड सयंत्र	उपर्युक्त दोनों परम्परागत और अक्षय ऊर्जा के अनुपात में

1. नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्रों को समानांतर संचालन शुल्क (पीओसी) से बाहर रखा जाएगा।
2. समानांतर संचालन शुल्क केवल ऑन-साइट/co-located लोड द्वारा खपत की गई बिजली तक ही सीमित होगा, ऑफसाइट सीपीपी पर नहीं और यह जनरेटर की शुद्ध क्षमता (total capacity- open access capacity) पर लागू होगा।
3. Co-located संयंत्रों पर, चाहे उनकी कैप्टिव स्थिति कुछ भी हो, पीओसी शुल्क Co-located भार के लिए उपयोग की गई क्षमता तक लागू होंगे। डिस्कॉम द्वारा सीपीपी के साथ किए गए विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) पर कोई पीओसी शुल्क लागू नहीं होगा।

विनियामक अधिभार, ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) सहित निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है।

विवरण	(रू./यूनिट)
100 यूनिट/माह तक खपत वाले घरेलू उपभोक्ता	0.70
बचे हुए घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पे लागू होगा।	1.00

- उपरोक्त नियामक अधिभार मय ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) आरईआरसी टैरिफ विनियम 2025 के विनियम 87 के अनुसार लगाया जाएगा।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिस्कॉम द्वारा change in law के कारण उत्पन्न अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए आयोग द्वारा दिनांक 01.09.2022 के अपने आदेश के माध्यम से अनुमत 0.07 रुपये/यूनिट के विशेष एफएसए पर अलग से लिया जाएगा।

नोट :- वर्तमान में वह सभी प्रावधान जो कि इस आदेश में संशोधित नही किये गये है, लागू रहेंगे।

अधीक्षण अभियंता (रेगूलेशन)
जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

जेपीआर 3065(2025)
राज.संवाद/सी/25/11809

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office, Gandhinagar, 3rd Block, 5th Floor, F2, Sector-10a, Karmyogi Bhawan, Gandhinagar (Gujarat)- 382010 Email: Iro.gandhingr-mefcc@gov.in, Tel No. +9179-29613951

Online Proposal No.: FP/RJ/ROAD/445138/2023 Dated: 03/06/2025

To,

Principal Secretary (Forest and Environment),
Department of Forest and Wildlife
Government of Rajasthan,
Vaniki Path, Near Secretariat Jaipur-302005 (Rajasthan)

Subject: Proposal for diversion of 5.32 ha of Reserved Forest land for the construction of approach road to Pachpahar in the State of Rajasthan in favour of the Executive Engineer, Public Works Department Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/445138/2023).

Sir/Madam,

I am directed to refer to the online proposal no. FP/RJ/ROAD/445138/2023 dated 20/09/2023 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by Regional Empowered Committee in its 25th Meeting held on 30.05.2025.

After careful consideration and approval of the proposal by the 25th REC, I am directed to convey the "In-Principle/Stage-I" approval of the Central Government under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam. 1980 for the proposal for non-forestry use of 5.32 ha of Reserved Forest land for the construction of approach road to Pachpahar in the State of Rajasthan in favour of the Executive Engineer, Public Works Department Rajasthan subject to the fulfillment of the following general, standard and specific conditions:

1. General Conditions

S.No	Conditions
1.1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged
1.2	The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II clearance
1.3	The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as RF under Section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of Stage--II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record
1.4	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale
1.5	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years
1.6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard
1.7	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India
1.8	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned
1.9	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required
1.10	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar
1.11	The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report
1.12	No labour camp shall be established on the forest land
1.13	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas
1.14	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.15	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government
1.16	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.17	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.18	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF
1.19	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year
1.20	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State
1.21	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
1.22	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project
1.23	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015
1.24	No tree felling shall be involved in the implementation of this project..
1.25	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 10.64 ha Degraded forest land, Survey No. 218, 219, 226, 227, 229, 230, 235, Village- Kota Municipal Area, Tehsil-Ladpura, Range- Ladpura, District- Kota of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
1.26	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.32 ha non- forest land, Survey No. 138. Village- Kudet, Tehsil- Sangod, Range- Kanwas, District- Kota of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.

2. Standard conditions

S.No	Conditions
2.1	The user agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years. The user agency shall also submit design of providing at least 2-3 rows of long rotation indigenous trees, as per provision of IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation), on either side of the road before final clearance.
2.2	The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.
2.3	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.
2.4	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.
2.5	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-1 compliance report;
2.6	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals

3. Specific Conditions

S.No	Conditions
3.1	The User Agency shall construct 6 feet high wall along the boundaries of the Non-forest land and Degraded-forest land proposed for CA.
3.2	User Agency shall provide at its cost the required number of Solar Pumps as given by the Forest Department for irrigating the CA plantation.
3.3	The User Agency shall construct underpasses of 5-meter height and 5 meters wide at every 500 meters along the length of the road in forest land for safe passage of the animals or required numbers as per local conditions, to be approved by the CWLW
3.4	The User Agency shall also plant 1000 trees of Ficus species/Indigenous species on both sides of the road at its cost.

After receipt of compliance report on fulfillment of all the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to RO, Gandhinagar. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard. Further, it may also be noted that this In-principle/Stage-I approval shall be valid for a period of 2 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after two (02) years.

Your's faithfully
(Shrawan Kumar Verma)
Regional Officer/Head of Department
Regional Office, Gandhinagar
MoEF&CC, Govt of India

DIPR/C/14655/2025